बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक : 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना,दिनांक 23/8/16

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना को महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल के रूप में पुनर्गठित करने एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना तथा पूर्ववर्त्ती गंगा पुल परियोजना कार्य प्रमंडल, गुलजारबाग के सम्पत्ति एवं दायित्वों का हस्तान्तरण करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य अन्तर्गत वृहद जिला पथ (MDR) एवं राज्य उच्च पथ (SH) सहित राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) के पथों/पुलों का निर्माण एवं संधारण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। खास कर महात्मा गाँधी सेतु बिहार का एक महत्वपूर्ण पुल है, जिसे बिहार की जीवन रेखा भी कही जाती है एवं यह सेतु उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। वर्त्तमान में इस सेतु की स्थिति अत्यन्त जर्जर है एवं आयें दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है। महात्मा गाँधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर बदलने सहित इसके सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नोद्धार हेतु केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। सचिव, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.07.2016 को राज्य के परियोजना की समीक्षा के क्रम में महात्मा गाँधी सेतु के पुर्नोद्धार हेतु समर्पित पुल इकाई (Dedicated Bridge Unit) का अनुरोध किया गया है।

पथ निर्माण विभाग के अधीन पथ प्रमंडलों एवं पथ अंचलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप गंगा पुल परियोजना प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना को पथ प्रमंडल, शिवहर के रूप में सृजित कर उसके सभी अभिलेख पथ प्रमंडल, पटना सिटी को हस्तांतरित किया गया। वर्त्तमान में पथ निर्माण विभाग के अधीन पथ प्रमंडलों में महात्मा गाँधी सेतु के रख–रखाव की जिम्मेवारी राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अधीन है। इस प्रमंडल के अधीन गाँधी सेतु सहित राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण मरम्मति आदि कार्य के निष्पादन की भी जिम्मेवारी है, जिसके कारण महात्मा गाँधी सेतु पुर्नोद्धार के प्रति पूर्ण समर्पित हो कर कार्य करना अत्यन्त दुरूह हो जायेगा। अतः महात्मा गाँधी सेतु के रख रखाव एवं पुर्नोद्धार के लिए एक अलग प्रमंडल के गठन की आवश्यकता है, जो पूर्ण रूप से इस सेतु के लिए ही समर्पित हो।

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना के अधीन पथांशों के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तानांतरित हो जाने के फलस्वरूप वर्त्तमान में कार्यबोझ नगन्य है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :–

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना को महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल के रूप में पुनर्गठित किया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना द्वारा अपने क्षेत्राधीन पथों एवं निरीक्षण भवन एवं लंबित कार्य को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग को हस्तान्तरित करेंगे।

(iii) पूर्ववर्त्ती गंगा पुल परियोजना कार्य प्रमंडल, गुलजारबाग का अभिलेख/दायित्व जो पटना सिटी प्रमंडल को हस्तान्तरित किया गया था उसमें से मात्र कार्यालय भवन एवं कार्यरत कर्मी का हस्तान्तरण महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल को तथा अभिलेख एवं अन्य दायित्व तथा विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी मामले सहित सभी परिसम्पत्ति एवं अभिलेख (मुख्य अभियंता गंगा पुल परियोजना सम्प्रति सेतु प्रबंधन उपभाग) को स्थानान्तरित करेंगे।

2. चूँकि यह पूर्व सृजित कार्यालय/पद के मुख्यालय हस्तान्तरण का मामला है, अतः इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।

3. इसमे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

4. इसमे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

23.8.16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना, दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना, दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना, दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी/सभी उपायुक्त, बिहार/परामर्शी, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग (सभी उपभाग)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग)/विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना, दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1/विविध–37/2007 6823(S) पटना, दिनांक 23/8/16

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

23.8.16

सरकार के अपर सचिव

D:\BINOD\PRASAD SIR\DRAFT & LETTER.DOCX